न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–384/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00180)

1. बंशी पुत्र श्री किशन सहाय जाति अहीर (मृतक) वारिसान,
   1/1. दलीपसिंह,
   1/2. महावीर सिंह,
   1/3. पृथ्वीसिंह,
   1/4. जगमाल सिंह पुत्रान बंशी, जाति अहीर निवासीयान ग्राम बिछाला, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
   1/5. अशरफी देवी पुत्री बंशी पत्नी स्व. हीरासिह, जाति अहीर, निवासी ग्राम पहाड़ी, तहसील पटोदी जिला गुडगांवा, हरियाणा।
   1/6. समाकोर पुत्री बंशी पत्नी सुमेरसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील पटोदी जिला गुडगांवा, हरियाणा।
   1/7. रमेश देवी पुत्री बंशी पत्नी कर्मसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम ठोठवाल तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. बसन्ती पुत्री जसराम पत्नी रामकरण, जाति अहीर निवासी बिछाला हाल आबाद सिथरावली, तहसील व जिला गुडगांवा, हरियाणा।
2. सन्तोष पुत्री जसराम पत्नी कैलाश, जाति अहीर, निवासी ग्राम बिछाला, हाल आबाद राजयाकी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ईशरोदा पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर, राजसथान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

---रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–700/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00131)

1. मोहरसिंह उम्र करीब 85 साल पुत्र बुधराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम बिछाला, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बसन्ती पुत्री जसराम पत्नी रामकरण, जाति अहीर वासी बिछाला हाल आबाद सिथरावली, तहसील व जिला गुडगांवा, हरियाणा।
2. सन्तोष पुत्री जसराम पत्नी कैलाश, जाति अहीर, निवासी ग्राम बिछाला, हाल आबाद राजयाकी तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ईशरोदा पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें न्यायालय तहसीलदार भू.अ. तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 28.05.2008 (प्रकरण संख्या 75/08)

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि खातेदार जसराम पुत्र मूलिया जाति अहीर निवासी बिछाला तहसील तिजारा जिला अलवर का रहने वाला था जिसकी मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम बिछाला पटवारी हल्का ने उसकी पत्नी भोलीदेवी बेवा जसराम के नाम दिनांक 21.09.1965 को दर्ज करके सरपंच ग्राम पंचायत ईशरोदा ने उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 08.10.1965 को स्वीकार कर दिया जिस निर्णय बाबत बसन्ती, सतोष ने भोली देवी व सरपंच ग्राम पंचायत ईशरोदा के विरूद्ध एक अपील उनवानी बसन्ती देवी बनाम भोलीदेवी आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा उक्त अपील अपने निर्णय दिनांक 10.04.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम बिछाला अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को वाद्रिसान की विस्तृत जॉचकर उक्त नामान्तरकरण का नियमानुसार निर्णय करने के लिऐ प्रकरण रिमाण्ड ही किया गया जिस पर तहसीलदार तिजारा ने अपील के तथ्यों एवं कानून के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तविकता यह है कि खातेदार जसराम पुत्र मूलिया तहसीलदार तिजारा का रहने वाला था उसकी ग्राम बिछाला तहसील तिजारा में खातेदारी की आराजी स्थिति थी, खातेदार जसराम की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 08.10.1965 को ग्राम पंचायत ईशरोदा ने उसकी पत्नी भोलीदेवी के नाम विरासती नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, वो भोली बेवा जसराम ने वह बंशी पुत्र किशन सहाय जाति अहीर निवासी बिछाला ने अपनी–अपनी आराजीयात का अपनी सहूलियत व दीगर आराजी के सहारे–सहारे होने के कारण आपस मे तबादलाकर लिया, साबिक खसरा नम्बर 83/1–16 वा 54/2–13 आदि डाल खसरा नम्बर 389, 391 वा 103/2–13 आदि भोली की खातेदारी थी वा साबिक खसरा नम्बर 70, 71, 72 आदि कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 118, 119, 127 आदि बने है जो बंशी पुत्र किशन सहाय की कब्जे एवं खातेदारी की आराजी थी आपस में तबादला करके बंशी पुत्र किशन सहाय ने अपनी खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 70, 71, 72, आदि कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा भोली बेवा जसराम को दे दी व भोली बेवा जसराम ने उक्त आराजी की ऐवज में साबिक खसरा नम्बर 83, 54 आदि रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 389, 391 वा 103/2–13 आदि कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बिछाला बंशी पुत्र किशन सहाय जाति अहीर निवासी बिछाला को दे दी व इस प्रकार आराजीयात का तबादला कर लिया व अपनी–अपनी आराजी जो तबादला में आई उस पर मौके पर काबिज हो गये बंशी पुत्र किशन सहाय साबिक आराजी खसरा नम्बर 89, 54 आदि पर जिसके हाल

अपील संख्या 700/12 के अधिवक्ता अपीलान्ट ने भी उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की कोई सूचना पहले से नही थी ना ही पहले से जानकारी थी ना ही अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी हुये, ना ही सुनवाई का मौका दिया गया इसलिये अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा के यहॉ कोई सबूत पेश करने का कोई मौका नही था तथा अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत हेतु प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से पेश किया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 54/2–13 वाके ग्राम बिछाला बंशी पुत्र किशन सहाय के हिस्से में आने पर व खसरा परिवर्तनशील पत्र में बंशी का नाम इन्द्राज होने व राजस्व रिकार्ड में बंशी का नाम अमल होने पर बंशी पुत्र किशन सहाय खातेदार ने उक्त आराजी को 3000/–तीन हजार रूपये में बाकब्जा दिनांक 02.03.1973 को तहरीर व तकमील कराकर दिनांक 28.06.1973 को उप पंजीयक तिजारा के यहॉ पंजीबद्ध करा दिया तथा उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम का अंकन ही हुआ तो अपीलान्ट ने भू प्रबन्ध विभाग अलवर के यहॉ प्रार्थना पत्र संख्या 845/74 पेश किया कि उक्त आराजी अपीलान्ट की खुरीदशुदा है, हाल खसरा नम्बर 103/2–13 पर विक्रेता अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है दर्ज किया जावें जो प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.1974 के आधार पर पर्चा खतौनी सम्वत् 2024 में भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय अनुसार खसरा नम्बर 103/2–13 बंशी का नाम निरस्त करके अपीलान्ट मोहर सिह के नाम जारी किया गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का होने वह पर्चा खतौनी अपीलान्ट के हक में जारी होने पर सेटलमैन्ट सम्वत् 2029 के समय हाल खसरा नम्बर 103/2–13 अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित कर दिया तथा सम्वत 2029 से हाल सम्वत 2061 से 2064 तक हाल राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम खातेदारी का अमल निरन्तर लगातार होता चला आ रहा है उसके बावजूद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष दायर अपील में अपीलान्ट खरीददार व रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार नही बनाया जो कि अपील हाजा में आवश्यक पक्षकार मुकदमा था तथा मॉ भोली व बेटियों ने आपस में मिलीभगत करके कोलूजिव तरीके से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को गुमरहा करके धोखे से निर्णय दिनांक 10.04.2008 पारित करवाया है, जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 28.05.2008 तहसीलदार तिजारा मुकदमा नम्बर 75/2008 दायर दिनांक 22.04.2008 बाबत नामान्तकरण संख्या 158 वाके ग्राम बिछाला आराजी खसरा

61/2006 अदालत मातहेत उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर निरस्त किये जावे व हाल खसरा नम्बर 103/2–13 में से रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम बिछाला सम्वत् 2061 से 2064 तक व इसके बाद की जमाबंदियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व भोली बेवा जसराम का गलत इन्द्राज बाद निर्णय कराया है, उसे हजफ किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. जसराम पुत्र मूलिया थे जिनका देहान्त लगभग सन् 1965 में हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत का नामान्तरकरण उनकी माता श्री भोली देवी के नाम दर्ज कर दिया था कि जो नामान्तरकरण संख्या 158 था तथा उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा दिनांक 10.04.2008 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2008 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को केवल हैरान व परेशान करने की गरज से हस्तगत अपीले प्रस्तुत की गई जो निरस्तनीय है ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट्स का कोई सरोकार नही और यदि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का अपना हक, हकूक बनता है तो इसके लिये उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित दावा दायर कर अपने हकों की चाराजोही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहे है तथा अपीलान्ट बंशी द्वारा आराजी को आपस में तबादला किया गया है एवं अपीलान्ट द्वारा आराजी को क्रय करना अवगत कराया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। अपीलान्ट मोहर सिंह द्वारा अपीलान्ट बंशी को प्रतिफल अदा कर आराजी को प्रतिफल देकर क्रय करना बताकर आ रहे है ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट्स के वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के कोई हक, हकूक अधिकारी संभावित है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में नियमित दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करानी चाहिये। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।